

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0018

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

12/12/2023 10:32 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/12/2023 Time (समय): 09:15 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 007 Date and Time (दिनांक और समय): 12/12/2023 09:24 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):



6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): आनन्द उर्फ काला

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री भगवान

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1988

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	1282/01, राजीव कालोनी रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	1282/01, राजीव कालोनी रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8683003334

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	कंडेक्टर अशोक			1. गांव लाखनमाजरा, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	कंडेक्टर जसमेर			1. गांव लाखनमाजरा, ROHTAK, HARYANA, INDIA
3	काला दलाल			1. गांव दिपालपुर जिला सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

निरीक्षक,
एन्टी करप्शन ब्यूरो,



रोहतक मण्डल रोहतक ।

विषय:- भ्रष्ट लोकसेवक पर रैंड की कार्यवाही करवाने बारे।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मैं आन्नद उर्फ काला पुत्र श्री भगवान म.न. 1282/01 राजीव कालोनी रोहतक का रहना वाला हूँ। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। मेरे पास प्राइवेट बसें हैं। मुझे रोहतक से सोनीपत वाया खरखौदा रुट पर बसें चलाने का परमिट मिला हुआ। मेरी बसों के साथ मैं हरियाणा रोडवेज की बसों की Joint समय सारणी RTA रोहतक द्वारा जारी की गई है। मैं अपनी बसों को RTA रोहतक द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार चलाता हूँ। सोनीपत बस स्टैंड में एडवांसर जो रोडवेज की बसों की काउंटर स्टैंड पर टिकट काटकर रोडवेज बसों की बुकिंग करते हैं। जिनके नाम अशोक गांव लाखनमाजरा व जसमेर गांव लाखनमाजरा दोनों कंडेक्टर एडवांसर के तौर पर काउंटर पर तैनात रहते हैं। जो मेरी बसों के आगे-पीछे जो हरियाणा रोडवेज की बस चलती हैं, उनके ड्राइवर कंडेक्टर को बोल कर मेरी बसों के समय पर बस लगवा देते हैं। जिससे मैं काफी परेशान हूँ। ये दोनों मेरे से प्रति बस की एवज में 200-200/- रुपये लेने की मांग करते हैं। जो मैं इनको पहले 200-200/- रुपये प्रति बस के हिसाब दलाल काला गांव गोपालपुर सोनीपत के माध्यम से प्रति बस के लेते रहे हैं। जो मैंने एक समय पर रुपये नहीं दिये तो मेरी बसों के चालान करवा देते हैं। उसके पश्चात मेरे कंडेक्टर संजय ने फोन द्वारा Whatsapp पर कॉल की तो कंडेक्टर जसमेर डिपो सोनीपत गांव लाखन माजरा से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने मेरे से कहा कि ऊपर राहुल जैन GM साहब को रुपये देने पड़ते हैं और उन्होंने कहा आप रुपये देते रहो और मौज लेते रहो। इस बारे में मेरी बस के कंडेक्टर संजय ने मेरे से इस बारे में बताया तो मैं खुद निजी तौर पर सोनीपत गया तो मेरे से वहां पर दलाल काला गांव गोपालपुर सोनीपत व कंडेक्टर अशोक डिपो सोनीपत गांव लाखनमाजरा सोनीपत बस स्टैंड रोहतक वाले काउंटर पर बैठे मिले पहले मैंने दलाल काला जो प्रति बस के हिसाब से रुपये इकट्ठे करता है। उससे बात की जिसने कहा कि मैं सभी बसों के रुपये इकट्ठे करके कंडेक्टर अशोक डिपो सोनीपत व कंडेक्टर जसमेर डिपो सोनीपत को देता हूँ। इसके पश्चात मैं कंडेक्टर अशोक डिपो सोनीपत से मिला उससे बातचीत की। जिससे मैंने कहा कि मैं 200-200/- रुपये प्रति बस के हिसाब से प्रतिदिन नहीं देना चाहता मैं महीने में एक बार में ही रुपये दे दुंगा चाहे मेरी बस चले या नहीं चले, 10000/- रुपये में पूरे महीने का सौदा कर ले। कंडेक्टर अशोक डिपो सोनीपत ने कहा की मैं इसके बारे में GM साहब से बातचीत करके बता दुंगा क्योंकि आधे रुपये राहुल जैन GM साहब को देने पड़ते हैं। जो कुछ समय पश्चात दलाल काला ने मुझे कहा कि प्रति बस 200-200/- रु कुल 400/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिन के 12000/- रुपये दे देना जो मेरे को कंडेक्टर अशोक डिपो सोनीपत ने कहा है कि साहब से बातचीत हो गई है। यदि आपने रुपये नहीं दिये तो आपकी बसों को ज्यादा समय काउंटर पर नहीं दिया जायेगा और आपके चालान RTA सोनीपत को बुला कर जबरदस्ती कटवा दिये जाएंगे RTA सोनीपत GM साहब का खास है। जो आप 12000/- रुपये दे दो मैंने कहा कि अब मेरे पास रुपये नहीं हैं। मैं रिश्त के ये पैसे उसको नहीं देना चाहता। रिश्त के लेन-देन के सम्बन्ध में एक रिकॉर्डिंग दिनांक 31.10.2023 को मेरी गाडी के परिचालक/मुन्शी संजय व जसमेर, कंडेक्टर, सोनीपत डिपो के मध्य वॉट्स अप कॉल की अन्य मोबाईल से की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग, दूसरी रिकॉर्डिंग दिनांक 4.12.2023 को मेरी व दलाल काला वासी दिपालपुर जिला सोनीपत के मध्य रिकॉर्डिंग डिवाइस के माध्यम से की हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग व तीसरी रिकॉर्डिंग दिनांक 04.12.2023 को मेरी व अशोक परिचालक स्टैंड काउंटर कंडेक्टर सोनीपत डिपो के मध्य रिकॉर्डिंग डिवाइस के माध्यम से की हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। जो ये तीनों ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने Sandisk कम्पनी की लाल-काले रंग की 16 जी.बी. की पेन ड्राइव में डलवाकर आपको प्रस्तुत कर दी है। उपरोक्त रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही कर ली थी क्योंकि मैं इन भ्रष्ट कर्मचारियों व दलाल को रिश्त के पैसों के साथ रैंड हैण्डिड पकड़वाना चाहता था। जो किसी वजह से रैंड हैण्डिड नहीं हो सके। आज मैं आपको उपरोक्त वर्णित शिकायत के साथ रिकॉर्डिंग पेश कर रहा हूँ। हस्ता-अंगेजी *Arand

आन्नद उर्फ काला पुत्र श्री भगवान

म.न. 1282/01 राजीव कालोनी,

रोहतक। मो.न. 8683003334

कार्यवाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक हाजिर थाना हूँ कि मुदई आन्नद उर्फ काला पुत्र श्री भगवान म.न. 1282/01 राजीव कालोनी, रोहतक। ने हाजीर आकर दरखास्त हजा पेश कि जो इस सम्बन्ध में मुदई द्वारा कि गई रिकॉर्डिंग सुनी गई जो मजबूत दरखास्त व रिकॉर्डिंग से जुर्म जैर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का सर्जद होना पाया जाने पर

तहरीर MHC थाना भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो रोहतक के पास बदस्त CT कपिल 238 JJR के मुकदमा दर्ज करने हेतु भेजी जा रही रही है मुकदमा दर्ज करके नम्बर पर्चा से सुचित किया जाए मुकदमा कि स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरानबाला को भिजवाई जाए जो मन Insp मय मुलाजमान मय गाडी सरकारी No HR 03GV-9534 जिसका चालक सिपाही अशोक कुमार न0 759/भिवानी को हमरा लिया व मुदई को साथ लेकर कार्यवाही हेतु रवाना होता हूँ। अज थाना भ्रष्टाचार निरोधक रोहतक हस्ता अंग्रेजी Sachiv Insp ACB Rohtak dated 12.12.23 Time 9.00 AM

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर हजा के थाना में प्राप्त होने पर मु0 न0 18 दिनांक 12.12.2023 U/S 7 P.C.Act -1988 थाना एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्युटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला को बजरीया स्पेशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त सिपाही कपील न0 238/झज्जर की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक सुरेश कुमार की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
/ or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Sachiv Rank (पद): I (Inspector)
Kumar

No. (सं.): 1720gggn to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in Charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): सुरेश कुमार

Rank (पद): निरीक्षक

No. (सं.): 1789/SPJ

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)